IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

परास्नातक शिक्षा का विकास

भाोध निर्देशक
डॉ0 शिव शरण शुक्ल
शिक्षा"शास्त्र विभाग
लाल बहादुर शास्त्री पी0जी0 कालेज
गोण्डा उ0प्र0

शोधार्थी–
विन्द्रेश कुमार
MA., NET JRF

भारत में उच्च शिाक्षा से तात्पर्य कक्षा 12 से आगे की स्नातक एवं परास्नातक शिक्षा और शोधकार्य से है और इसके विकास से तात्पर्य समय के साथ–साथ इसमें होने वाली मात्रात्मक प्रगति और होने वाले गुणात्मक उन्नयन से है।

भारत में शिक्षा के इतिहास का अध्ययन सामान्यतः तीन बातों के अन्तर्गत किया जाता है– प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल।

वैदिक काल में उच्च शिक्षा का विकास :– संसार में उच्च शिक्षा का श्रीगणेश सर्वप्रथम भारतवर्श में हुआ। यहॉ वैदिक काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था मुख्य रूप से ऋषिआश्रमों एवं गुरूकलों में होती थी। उस समय ये ऋषिआश्रम एवं गुरूकल प्रायः जन कोलाहल से दूर प्रकृति की सुरम्य गोंद में स्थित होते थे। यहॉ का जीवन अपेक्षाकृत कुछ कठोर होता था। परिणामतः अति इच्छुक एवं साहसी छात्र ही इनमें प्रवेश लेते थे।

बौद्ध काल में उच्च शिक्षा का विकास :– हमारे देश में बौद्ध काल में वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली के समानान्तर बौद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ। बौद्धों ने अपने मठों एवं विहारों में शिक्षा के द्वार सभी के लिए खोल दिये। इस काल में तक्षशिला, नालन्दा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ। ये उस समय के विख्यात विश्वविद्यालय थे।

पूर्व मुगल काल में उच्च शिक्षा का विकास :– हमारे देश में मुस्लिम शासन की शुरूआत 1192 ई0 में हुई। कुतुबुद्दीन एबक इस देश का पहला मुसलमान शासक था। उसने शिक्षा के क्षेत्र में पहला कार्य नालन्दा और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों को बर्बरतापूर्ण ढंग से नष्ट करने का किया। परिणामतः अन्य बौद्ध शिक्षा केन्द्र भयवश स्वयं बन्द हो गये। उसने दूसरा कार्य इस्लामिक शिक्षा केन्द्र मकतब (प्राथमिक शिक्षा केन्द्र) और मदरसों (उच्च शिक्षा केन्द्र) के निर्माण का किया।

मुगल काल में उच्च शिक्षा का विकास :– भारत में मुगल साम्राज्य की नींव 1556 में बाबर ने डाली। उसके उत्तराधिकारियों ने कई बड़े मदरसे स्थापित किये। अकबर ने आगेर में पुर्तगाली प्रणाली के जेसट कॉलिज के आधार पर भी एक जेसट कॉलिज की स्थापना की। परिणामतः उसके भाासन काल में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास हुआ।

आगे चलकर औरंगजेब गद्दी पर बैठा, वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने अपने भाासनकाल में सबसे अधिक मदरसे स्थापित किये परन्तु साथ ही साथ हिन्दू शिक्षण संस्थाओं को नष्ट करने का कार्य भी किया। परिणाम यह हुआ कि उच्च शिक्षा का विकास रूक गया।

ईसाई मिशनरी काल में उच्च शिक्षा का विकास :– इस दश में सर्वप्रथम पुर्तगाली इसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ। इन्होने यहॉ प्राथमिक शिक्षा संस्थाओं के साथ–साथ कुछ उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी की जिसमें चॉल का जसट कॉलिज और बान्द्रा का सैन्ट नी कॉलिज मुख्य थे। परन्तु इनका पाठ्यक्रम आधुनिक उच्च शिक्षा से बहुत भिन्न था, बहुत निम्न स्तर का था। इसके बाद अंग्रेज इसाई मिशनरियों ने भी कई उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की, परन्तु उनका स्वरूप आज की माध्यमिक शिक्षा के समान था।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी भाासन काल में उच्च ि"ाक्षा का विकास :– सन् 1772 ई0 में वारेन हेस्टिंग्स ईस्ट इण्डिया कम्पनी भाासित भारत के गर्वनर जनरल बने। इन्होने कलकत्ता के संभ्रान्त मुसलमानों के आग्रह पर 1781 में 'कलकत्ता मदरसा' की स्थापना की। इसके 10 वर्श बाद 1791 में बनारस के तत्कालीन रेजीडेन्ट जानेथन डंकन ने 'बनारस संस्कृत कालिज' की स्थापना को। सन् 1798 में लार्ड वैलजली भारत के गर्वनर जनरल नियुक्त हुए। उन्होने सन् 1800 में कलकत्ता में यूरोपीय शिक्षा पद्धति पर आधारित 'फोर्ट विलियम कॉलिज' की स्थापना की। 1817 में इसाई मिशनरियों ने सीरामपुर में 'सीरामपुर कॉलिज' की स्थापना की और इसमें पाश्चात्य भाशा साहित्य एवं ज्ञान–विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था की। इसी वर्श राजा राममोहन

राय ने कलकत्ता में 'हिन्दू कॉलिज' की स्थापना की। 1821 में बम्बई प्रान्त के गवर्नर एलफिन्सटन ने पूना में 'पूना संस्कृत कॉलिज' की स्थापना की। 1854 में वुंड का घोषणा–पत्र प्रकाशित हुआ।

इसमें शिक्षा के विभिन्न स्तरों यथा– प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालयी शिक्षा में विभाजित करने की घोषणा की गयी और साथ ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में लन्दन विश्वविद्यालय के आदर्श पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गयी। 1857 में कलकत्ता बम्बई और मद्रास में ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की गयी।

ब्रिटिश शासन काल में उच्च शिक्षा का विकास :– सन् 1857 की सैनिक क्रान्ति दबाने के बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने भाासन की बागडोर स्वयं संभाली । 1880 में लार्ड रिपन भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय नियुक्त हुए। इन्होने 1882 में 'भारतीय शिक्षा आयोग' (हण्टर कमीशन) की नियुक्ति की। इस आयोग ने भारत में उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में दो मुख्य सुझाव दिये। पहला यह कि उच्च शिक्षा के लिए सहायता अनुदान राशि बढाई जाय और दूसरा यह कि उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम विस्तृत किया जाय। उसमें नये–नये विशयों की शिक्षा की व्यवस्था की जाय। इससे उच्च शिक्षा के विस्तार एवं उन्नयन में गति आई।

सन् 1902 ई0 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और वायसराय लार्ड कर्जन ने 'भारतीय वि"वविद्यालय आयोग' का गठन किया। इस आयोग में उच्च शिक्षा के सन्दर्भ में अनेक सुझाव दिये जिसमें दो सुझाव अत्यन्त अथपूर्ण साबित हुए– पहला यह कि विश्वविद्यालयों में शिक्षण कार्य शरू किया जाय और दूसरा यह कि नये कालेजों को मान्यता देने में कठोरता बरती जाय। इन सुझावों के अनुपालन से उच्च शिक्षा के प्रसार मं थोड़ी कमी जरूर आयी परन्तु शिक्षा के स्तर का उन्नयन शुरू हो गया। 1904 में लार्ड कर्जन ने 'भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम' की घोशणा की। इससे विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली सुनिश्चित हुई और उच्च शिक्षा का स्तर उठा परन्तु इसमें महाविद्यालयां की सम्बद्धता के नियम कठोर कर दिये गये इसलिए उच्च शिक्षा के प्रसार की गति रूक सी गयी।

सन् 1913 ई0 में ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा नीति सम्बन्धी नया प्रस्ताव प्रकाशित किया। इस प्रस्ताव में प्रत्येक प्रान्त में कम से कम एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गयी। परिणाम स्वरूप 1916 में 'बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय', 'मैसूर विश्वविद्यालय' और 1917 में 'पटना विश्वविद्यालय' की स्थापना की गयी। 1917 में ही 'कलकता विश्वविद्यालय आयोग' (सैण्डलर कमीशन) की नियुक्ति की गयी । इसी बीच 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय, 1920

में ढाका विश्वविद्यालय, 1921 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय, 1922 में लखनऊ विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय, 1923 में नागपुर विश्वविद्यालय, 1926 में आन्ध्र विश्वविद्यालय और 1927 में आगरा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तभी हर्टांग समिति, 1929 ने उच्च शिक्षा के प्रसार पर नियंत्रण करने आर उसके स्तर को उठाने की सिफारिश की। परिणाम स्वरूप उसके प्रसार की गति धीमी पड़ गयी। परन्तु फिर भी 190 में अन्नामलाई विश्वविद्यालय, 1937 में ट्रावनकार विश्वविद्यालय, 1943 में उत्कल विश्वविद्यालय, 1946 में सागर विश्वविद्यालय और 1947 में राजस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी। दश का बॅटवारा होने पर उनमें से 19 विश्वविद्यालय भारत में रह गये और 03 पाकिस्तान में चले गये।

स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा का विकास :–

15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश दासता से स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के उपरान्त 26 जनवरी सन् 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। भारतीय जनमानस की आशाओं के इस सजीव प्रतिबिम्ब में शिक्षा को एक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाना स्वाभाविक था इसलिए भारतीय संविधान में अनेक भौक्षिक विशयों को सम्मिलित किया गया है।

शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में विवासित अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया है।

अन्तर्विश्वविद्यालय परिषद तथा केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की सलाह से 04 नवम्बर सन 1948 को डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। सम्यक् विचार–विमर्श के उपरान्त आयोग ने 25 अगस्त 1949 को 747 पृष्ठों का अपना प्रतिवेदन भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा की गयी सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना सन् 1956 में भारत सरकार के द्वारा भारतीय संसद द्वारा पारित विधेयक के आधार पर हुई। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य दायित्व निम्न हैं–

- उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को परामर्श देना।
- विश्वविद्यालयों तथा सम्बन्धित महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा के स्तर को बनाये रखना।
- विश्वविद्यालयों तथा सम्बन्धित महाविद्यालयों को विकास के लिए अनुदान देना।

- नवीन विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा पुराने विश्वविद्यालयों के विस्तार के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करना।
- 1964–66 में डॉ0 दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन 14 जुलाई सन् 1964 में किया गया। इस आयोग ने ऐसे वृहद विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी सुझाव दिया जिनका स्तर विश्व के सर्वश्रेश्ठ विश्वविद्यालयों के समकक्ष हो।
- राष्ट्रीय ग्रामीण उच्च शिक्षा परिषद ने सन् 1967 में ग्रामीण उच्च शिक्षा योजना की प्रगति की समीक्षा करने तथा इसमें सुधार के उपाय के लिए भी जी0 रामचन्द्रन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
- विश्वविद्यालय व महाविद्यालय संचालन समिति– 1969–73 डॉ0 एस0एन0 सेन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।
- ज्ञानम समिति 1987–90 ने प्रो0 ए0 ज्ञानम की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न प्रश्नों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए एक समिति का गठन किया।
- उच्च शिक्षा का पुनरोद्धार एवं नवजीवन समिति– 2009 प्रो0 यशपाल की अध्यक्षता में किया गया।

राश्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में विकास :–

विश्वविद्यालयी शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में प्रदश का अनुपात उपलब्ध सुविधाओ के आधार पर विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना की जाए।

विश्वविद्यालयी शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संस्थाओं को संसाधन उपलब्ध कराकर उनमें उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ाया जाए। स्वायत्त महाविद्यालयों तथा विभागों को बढ़ाया जाए। साथ ही पाठ्यक्रमों को पुनर्गठित किया जाए। सभी योग्य व्यक्तियों को समान अवसर देने के लिए अन्तरक्षेत्रीय गतिशीलता बढ़ाई जाए।

विश्वविद्यालयी शिक्षा के सम्बन्ध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है– जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हा, जिसमे रचनात्मक कल्पना"शक्ति, नैतिक मूल्यों और आधार हो।

इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जो कि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित– समावेशी और बहुलतावादी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करे।

इसी तथ्य को ध्यान में रखत हुए– स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष (2 सेमेस्टर) पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाए। द्वितीय वर्ष (4 सेमेस्टर) पर डिप्लोमा प्रदान किया जाए। तृतीय वर्ष (6 सेमेस्टर) पर डिग्री प्रदान की जाए। चौथे वर्ष (8 सेमेस्टर) पर शोध के साथ स्नातक की उपाधि प्रदान की जाए। पॉचवे वर्ष (10 सेमेस्टर) पर मास्टर डिग्री प्रदान की जाए। छठे वर्ष (12 सेमेस्टर) पर Post Graduate Diploma in Research प्रदान किया जाए। प्राथमिकता के आधार पर सातवें, आठवें और आगे के वर्षों में पी–एच0डी0 की उपाधि प्रदान की जाए।

चयनित सन्दर्भ :–

- ओड, एल0के0 (1977) शिक्षा के नूतन आयाम, जयपुर : राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
- गुप्ता, एस0पी0 तथा गुप्ता, अलका (2009) मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, इलाहाबाद शारदा पुस्तक भवन।
- गुप्ता, एस0पी0 तथा गुप्ता, अलका (2012) भारतीय शिक्षा का ताना–बाना, इलाहाबाद शारदा पुस्तक भवन।
- गुप्ता, एस0पी0 तथा गुप्ता, अलका (2012) भारतीय शिक्षा का इतिहास, विकास एवं समस्याएं, इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार।